



पत्रांक: 410/पीएस-स./2021

दिनांक: 21.05.2021

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

विषय:- कोविड-19 की जांच सुविधा समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी0एच0सी0) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी0एच0सी0) में उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप विदित ही हैं कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कोविड-19 संक्रमण निरन्तर प्रसारित हो रहा है। कोविड-19 संक्रमण शहरी क्षेत्रों के साथ अब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुतायत में प्रसारित हो रहा है। इस स्थिति में आवश्यक है कि कोविड-19 रोगियों के त्वरित उपचार हेतु प्रत्येक स्तर तक कोविड-19 जांच सुविधा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायी जाये।

भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांकित 16.05.2021 एवं आई0सी0एम0आर0 के दिशा निर्देश दिनांक 04.05.2021 के अनुसार रैपिड एन्टीजन टैस्ट के माध्यम से कोविड-19 टैस्टिंग की सुविधा आम जन मानस तक पहुंचायी जानी आवश्यक है। इसी क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी0एच0सी0) पर रैपिड एन्टीजन टैस्ट सुविधा उपलब्ध रखें। जिन सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में कोविड-19 टैस्टिंग की जांच नहीं की जा रही है उन स्वास्थ्य केन्द्रों में भी शीघ्रातिशीघ्र रैपिड एन्टीजन टैस्टिंग के माध्यम से कोविड-19 जांच सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)